सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 14, बुधवार, *शाके* 1947- जून 04, 2025

Jyaistha 14, Wednesday, Saka 1947- June 04, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 02, 2025

संख्या प.1(02)न्याय/2023 :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित नवसृजित न्यायक्षेत्रों में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के नये न्यायालय स्थापित करती है, जिनकी बैठक का स्थान एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होंगे:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार	जिला न्यायालय जिसके अधीन होगा
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फलौदी	फलौदी	सम्पूर्ण राजस्व जिला फलौदी	फलौदी
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीडवाना	डीडवाना	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीडवाना-कुचामन	डीडवाना
3	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, खैरथल	खैरथल	सम्पूर्ण राजस्व जिला खैरथल-तिजारा	खैरथल
4	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, ब्यावर	ब्यावर	सम्पूर्ण राजस्व जिला ब्यावर	ब्यावर
5	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बालोतरा	बालोतरा	सम्पूर्ण राजस्व जिला बालोतरा	बालोतरा
6	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीग	डीग	सम्पूर्ण राजस्व जिला डीग	डीग
7	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, कोटपूतली	कोटपूतली	सम्पूर्ण राजस्व जिला कोटपूतली-बहरोड	कोटपूतली

8	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सलूम्बर	सलूम्बर	सम्पूर्ण राजस्व जिला सलूम्बर	सलूम्बर

राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव, विधि।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।